न्यायालय तहसीलदार, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी ::: सतीश कुमार, R.T.S.
मिसल नं. ::: 14 / 2020

सरकार बनाम भरतसिंह शेखावत पुत्र महावीर सिंह शेखावत, जाति–राजपूत, निवासी–पिलानी
सुरेन्द्र सिंह पुत्र नारायण सिंह, जाति–राजपूत, निवासी– खेड़ला

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक 27.07.2021

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायलान भरतसिंह शेखावत पुत्र महावीर सिंह शेखावत, जाति–राजपूत, निवासी–पिलानी एवं सुरेन्द्र सिंह पुत्र नारायण सिंह, जाति–राजपूत, निवासी–खेड़ला द्वारा कस्बा पिलानी की मन्दिर श्री रामद्वारा की भूमि ख.नं. 990 रकबा 11.24 है0 में से 3.70 है0 भूमि पर स्पोट्स काम्पलेक्स बनाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली में सुनवाई की गई। इसी भूमि के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बेच में डी.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 108 / 2019 कैलाशपति रूंथला वगैरह बनाम राजस्थान राज्य विचाराधीन थी। जिसमें दिनांक 13.07.2021 को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बेंच द्वारा निर्णय पारित कर दिया गया है। निर्णय में उक्त रिट पिटिशन को खारिज किया जा चुका है। निर्णय पारित किया गया है कि " *On bare perusal of the petition as well as the materil made available on record, we find that the subject land is a khatedari land recorded in the name of temple Shri Ramdwara (Rambara) who has got every right to take necessary legal recourse if any illegal construction or encroachment is made over the subject land. The issue of alleged encroachment has also been dealt with in various administrative and judicial proceedings. Therefore, we are not inclined to issue any direction as sought for and accordingly the petition is dismissed.* "

चूंकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में दायर रिट पिटिशन खारिज करते हुए निर्णय पारित किया जा चुका है। अतः उक्त निर्णय के परिपेक्ष्य में पत्रावली में आगे कार्यवाही न्यायोचित नही होने से पत्रावली में कार्यवाही ड्रॉप की जाती है। मिसल फैसल शुमार हो, नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सतीश कुमार)
तहसीलदार, सूरजगढ़